ग्राम पंचायत जनयानकड़, विकास खण्ड कॉंगड़ा जिला कॉंगड़ा, हि• प्र• –176038 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जनयानकड़, विकास खण्ड कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री चन्दू लाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	01.04.2022 से 10.05.2022
2	श्री नरेश कुमार	11.05.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र०स०	नाम	अवधि
1	श्री जन्म सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र०स०	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत जनयानकड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	4.38
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	14.42
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	0.51
5	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	3.14
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.42
7	8.3	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	0.85
8	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	1.15

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जनयानकड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.05.2024 से 28.05.

2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03 / 2023	03 / 2023
2023—24	02 / 2024	02 / 2024

अस्वीकरण (Disclaimer):—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 / — आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अ.वृ.का. / 2024 / 222 दिनाँक 28.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ.वृ.का. / 2024 / 208 दिनांकः—20.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	282486.00	49867.72	332353.72	132989.68	199364.04
2023-24	199364.04	52252.00	251616.04	70259.00	181357.04

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1193595.00	4910849.24	6104444.24	3437996.85	2666447.39
2023-24	2666447.39	2234181.38	4900628.77	3458953.04	1441675.73

कुल योग (**1+2**) 181357.04+1441675.73=**1623032.77**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹16,23,032.77 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹11,85,095.37 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक कॉंगड़ा	20033088819	172689.72
2	स्वःस्त्रोत/5वां वित/एल.ए.डी.ए/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.आर.एफ	यू.बी.आई दौलतपुर	498102010005825	307203.35
3	14वाँ वित्तायोग	यू.बी.आई दौलतपुर	498102010010487	0
4	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100365024157	705202.30
	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹1185095.37
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1623032.77

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–	₹1185095.37
अन्तरः–	₹437937.40

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातो के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹4.38 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जनयानकड़ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹437937.40 का बैंक में कम जमा के रूप में बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है, जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अन्तर की राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त कर बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/209 दिनांक 21.05.2024 द्वारा सूचित किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–28.05.2024 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तदानुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) सभा निधि के दो खाते खोलने तथा खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी

तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15)–(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत जनयानकड़ द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई,एस.डी.आर.एफ,एल.ए.डी.ए व 15वां वित इत्यादि की सयुंक्त ऑनलाईन रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत का एक अलग खाता 20033088819 तथा स्वःस्त्रोत, पांचवा वित ,वी.के.वी.एन.वाई,एस.डी.आर.एफ व एल.ए.डी.ए आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 498102010005825 खोला गया था तथा इस खाते में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांकः 28.05.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 28.05.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं निर्देशानुसार स्कीमवाईज बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं स्कीमवाईज बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹14.42 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/208 दिनांकः–20.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1441675.73 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	5वा वित/ एल.ए.डी.ए/वी.के.वी.एन. वाई/एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	639134.73
2	14वाँ वित्तायोग	31.03.2024	7726.00
3.	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	794815.00
		कुल जोड	**1441675.73**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/210 दिनांक–22.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09

दिनांक–28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.04 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/208 दिनांकः–20.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में **₹4150/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु

शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/211 दिनांकः–22.05.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार ग्राम पंचायत जनयानकड़ द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1.	2022–23	3800
2	2023–24	2200
	जोड	6000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/211 दिनांकः 22.05.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत जनयानकड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः--09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.51 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत जनयानकड़ के व्यय वॉउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** में दिए गए विवरणानुसार ₹50,745/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/216 दिनांकः–27.05.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाज़ारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹3.14 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जनयानकड़ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"6"** पर संकलित राशि ₹314089.38/— के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/217 दिनांकः—27.05.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः—09 दिनांकः28.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.42 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न चुनिंदा वॉउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹42350.36 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/218 दिनांकः–27.05.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत,बजरी,वोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession Fees and Royalties,81-Other receipts" आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की

संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति अनुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु डेस्कटोप पी.सी को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेट्रोनिक कारपोरेशन शिमला से न क्रय करके खुले बाजार से क्रय द्वारा ₹0.21 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

चयनित मास 02/2024 के व्यय/वॉउचरों के अकेंक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से कार्यालय उपयोग हेतु सभा निधि से एक नम्बर डेस्कटोप न्यू पी.सी I5 ₹21240 का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेट्रोनिक कॉर्पोरेशन शिमला से न करके खुले बाजार से किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्रय से पूर्व संबंधित विभाग से ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। अतः उक्त के अभाव में किया गया व्यय उचित नहीं माना जा सकता, जोकि एक अनियमितता है।

उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/219 दिनांकः—27.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः—09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त क्रय जानकारी के अभाव में किया गया। प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गये व्यय को समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा यदि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्टोनिकस कारपोरेशन शिमला द्वारा उक्त डेस्कटोप न्यू पी.सी I5 की दरे कम पाई जाती है, की पुष्टि उपरान्त अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके ग्राम पंचायत लेखे में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की खरीद संबंधित विभाग से करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

-38-

8.2 ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान वी.के.वी.एन.वाई के अंतर्गत तीन नम्बर हैण्ड पम्प स्थापित करने हेतु पाई गई विभिन्न अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 02/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹247000 में स्थापित तीन नम्बर हैण्ड पर किये गए व्यय का अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

1. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित हैं, परिणामस्वरूप पंचायत को विस्तृत प्रचार के कारण मिलने वाले बाजारीय प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा था।

चयनित मास 02/2024 के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रकिया को पूर्ण किये बिना ही तीन हैण्डपम्प स्थापित कर दिये गए। जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना है के दृष्टिगत अनियमित तथा आपतिजनक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ₹247000 का अनियमित भुगतान किया गया था।

2. ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प स्थापित करने हेतु तीन निविदाये प्राप्त की गई थी ,जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उन तीन निविदाओं में से दो निविदाओं को एक ही व्यक्ति द्वारा भरा गया था, उन निविदाओ में नाम अलग–अलग थे जबकि पता एक ही स्थान का दर्शाया/लिखा गया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ प्रदान करने के लिये निविदाये केवल मात्र औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्राप्त की गई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किये गये बिल/वाउचरो में अंकित ब्यौरा पढ़ने योग्य नहीं था। इस प्रकार किये गए व्यय हेतु क्या मद लिखी गई है अथवा क्या कार्य करवाया गया है इसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकी।

इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/220 दिनांकः–28.05.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओ को पूर्ण करने पश्चात ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा लाखो रूपये की राशि का व्यय नियमो की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः मामला उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि मामाले की छानबीन व पड़ताल करने उपरान्त तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुये वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 अग्रिम राशि ₹0.85 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने पश्चात किये गए अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है, जिसे पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 02/2024 के वाउचरो का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार ₹85026/– का अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया थाः–

क्र0सं0	अनुदान	वॉउचर/दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर (₹)	राशि
1	15वां वित	पी/12/27.02.24/92129	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन रानीताल	सीमेंट बैग	101	383	38683

2	15वां वित	पी/13/27.02.24/92130	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन रानीताल	सीमेंट बैग	121	383	46343
						कुल जोड	**85026**

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांकः–28.05.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त अग्रिम प्रदान राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को तैयार कर लिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरर्पोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 अनुदान लाडा (एल.ए.डी.ए) के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्य रास्ता प्रकाश चन्द के घर से कुलदीप चन्द के घर तक के लिये सीमेंट खरीदने हेतु ₹1134 का अधिक भुगतान करने बारेः–

1. उक्त निर्माण कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 13794 के पृष्ठ संख्या 66 व 67 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 20813 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 133 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम निष्पादन तथा क्रय की गई कुल सामग्री को जारी/खपत की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹1134 का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0सं0	अनुदान/ शीर्ष	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	एल.ए.डी.ए	सीमेंट	133Bag	130Bag	3	378	1134

<u>वास्तविक सीमेंट खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>

1 Item- P/L(1:2:4) =20.35m3X 6.40(Cement Factor) =130.24 or say 130 Bags

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांक: 28.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–09/2024 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के लिये किये गये अधिक भुगतान की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके तथा सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ₹1.15 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹1,14,593/– के निमार्ण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वॉउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	129/15.03. 2023	निर्माण एम्बुलेन्स रोड ईश्वर दास के घर से मोहर सिंह गउशाला तक वार्ड–4	13992
2	मनरेगा	निल,51,52/15 .03.23,07.02.24	भूमि समतल व सुरक्षा दिवार छिन्ज मेला राह वार्ड–4	76422

3	वी.के.वी. एन.वाई	पी/37/15. 02.2024	पूर्णीकरण महिला मंडल बाग वार्ड–3	24179
			कुल योग	**114593**

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत जनयानकड़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांकः 28/05/2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओ को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹8.39 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03/2023 व 02/2024 के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹8,39,147/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह भी एक अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांकः 28.05.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत जनयानकड़ के

ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत एवं सन्तोषजनक नहीं है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानो के व्यय से संबंधित है।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "9" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/221 दिनांकः 28.05.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जनयानकड़ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायतीराज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/208 दिनांकः 20.05.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय / वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

13 वॉउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत जनयानकड़ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वॉउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत जनयानकड़ के चयनित मास के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वॉउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वॉउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/208 दिनांकः 20.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–09 दिनांक 28.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायतीराज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही हैं, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/ढ0 0 5 AUG 2024
3790 - 3794

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)411/2014–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जनयानकड़, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 5 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/ढ0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP JANYANKAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	282486.00	49867.72	332353.72	132989.68	199364.04
2023-24	199364.04	52252.00	251616.04	70259.00	181357.04

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1193595.00	4910849.24	6104444.24	3437996.85	2666447.39
2023-24	2666447.39	2234181.38	4900628.77	3458953.04	1441675.73

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janyankad
Development Block Kancre

- 49 -

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या-"5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP JANYANKAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH FC/LADA/ VKVNY/SDRF	2022-23	157449.00	1873408.00	2030857.00	471312.61	1559544.39
		2023-24	1559544.39	963323.00	2522867.39	1883732.66	639134.73
2	14TH FC	2022-23	196754.00	0.00	196754.00	189028.00	7726.00
		2023-24	7726.00	0.00	7726.00	0.00	7726.00
3	15TH FC	2022-23	839392.00	939485.00	1778877.00	679700.00	1099177.00
		2023-24	1099177.00	217643.00	1316820.00	522005.00	794815.00
4	MNREGA	2022-23	0.00	2097956.24	2097956.24	2097956.24	0.00
		2023-24	0.00	1053215.38	1053215.38	1053215.38	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janyankar
Development Block Kangra

25

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "41" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत जनयानकड. विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176038

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत जनयानकड. के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक काँगड़ा	20033088819	282486	172689.72
2	स्वःस्त्रोत/5वां वत/ एल.ए.डी.ए/वी.के.वी.एन. वाई/ एस.डी.आर.एफ	यू.बी.आई दोलतपुर	498102010005825	157449	307203.35
3	14वाँ वित्तायोग	यू.बी.आई दोलतपुर	498102010010487	196754.02	0
4	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100365024157	839392.30	705202.30
	हस्तगत शेष			228	0
			कुल जोड.	1476309.32	1185095.37

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janyankad
Development Block Kangra

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या– "6.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत जनयानकड. विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176038

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकर:–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या: 2022–23 में 419 तथा 2023–24 में 423 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	2450	419	50	20950	23400	0	23400
2023-24	23400	423	50	21150	44550	40400	4150
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹4150/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janvankad
Development Block Kangra

परिशिष्ट - 5 (पैरा संख्या - "62")

कार्यालय ग्राम पंचायत जनयानकड़

विकास खण्ड काँगड़ा (हि० प्र०)

अबधि 2022 - 23 व 2023 - 24 में प्राप्त शुल्क

अवधि		बिबाह पंजीकरण शुल्क की राशी
2022 - 2023	=	3800 /-
2023 - 2024	=	2200/-
कुल राशी	=	6000/-

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janvankad
Development Block Kangra

28

ग्राम पंचायत जनयानकड. विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

दान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.15TH FC	26/2.03.2023	Material carriage	Nil/Nil	M/s Kartar Chand Janyankar	540cft	20	10800	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.15TH FC	27/6.03.2023	Material carriage	Nil/Nil	M/s Kartar Chand Janyankar	541cft	20	10820	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.SF	P/35/01.02.2024	Sign Board	19/02.12.2023	M/s Vijay Kumar Govt. Contractor Dooonga Bazar Kangra	1	15000	15000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.SF	P/11/27.02.2024	Desk Top New PC I5 (With GST)	05/19.01.2024	M/s Yashika Computer Daulatpur	1	21240	21240	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
5.SF	61/01.02.2024	Extension Board	2643/29.12.2023	M/s R.K Electronics Old Bus Stand Kangra	1	820	820	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.SF	P/12/27.02.2024	Laptop SSD& Other	64/20.11.2023	M/s Yashika Computer Daulatpur			3700	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7.SF	P/12/27.02.2024	Canon Printer Ink	66/20.11.2023	M/s Yashika Computer Daulatpur			600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.VKVNY	P/37/15.02.2024	TILES (With Gst)	1200/03.12.2023	M/s Sharma Traders Ranitaal Kangara	31 Box	779.98	24179.38	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.VKVNY	P/38/27.02.2024	Installation of Handpump	211/03.01.2024	M/s Kathla Bore Well Sanouran Gaggal Kangra			89000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.VKVNY	P/39/15.02.2024	Installation of Handpump	214/06.01.2024	M/s Kathla Bore Well Sanouran Gaggal Kangra			89000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.VKVNY	70/15.02.2024	Installation of Handpump	213/04.01.2024	M/s Kathla Bore Well Sanouran Gaggal Kangra			69000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.SF	71/26.02.2024	Stationary	320/09.02.2024	M/s Kanvi Printing Press matour kangra			1550	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.15TH FC	P/10/13.02.2024	Material carriage	166/25.12.2023	M/s Jayanti Construction Nandrool Kangra	1695cft	15	25425	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	361134.38	

नोट:- 1 क्रम संख्या 1, 2, 6 व 13 की निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
2. क्रम संख्या 3 से 12 तक की स्टॉक प्रविष्टियों का इन्द्राज नहीं किया गया है।

Panchayat Secretary
Panchayat Janyan[illegible]
[illegible] Block [illegible]

29

-54-

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या - 7.3 में सन्दर्भित)

ग्राम पंचायत जनयानकड, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
15TH FC,MNREGA								
M/s Jayanti Construction Nandrool Kangra	P/10/13.02.2024	166/25.12.2023	Bajri	2.830	1.52	4.302	80	344.13
do	13/28.06.2023	0184/20.03.2023	Sand	4.984	1.62	8.074	80	645.93
			Bajri	9.005	1.52	13.688	80	1095.01
do	15/28.06.2023	0183/20.03.2023	Sand	5.182	1.62	8.395	80	671.59
			Bajri	10.393	1.52	15.797	80	1263.79
			Stone	4.502	2.24	10.084	80	806.76
do	17/28.06.2023	0174/04.02.2023	Sand	10.478	1.62	16.974	80	1357.95
			Bajri	19.994	1.52	30.391	80	2431.27
			Stone	1.500	2.24	3.360	80	268.80
do	19/20.06.2023	0173/02.02.2023	Sand	12.489	1.62	20.232	80	1618.57
			Bajri	23.987	1.52	36.460	80	2916.82
			Stone	16.992	2.24	38.062	80	3044.97
do	22/20.06.2023	0176/06.02.2023	Sand	4.502	1.62	7.293	80	583.46
			Bajri	9.005	1.52	13.688	80	1095.01
			Stone	16.001	2.24	35.842	80	2867.38
do	24/20.06.2023	0139/18.09.2022	Sand	4.814	1.62	7.799	80	623.89
			Bajri	9.685	1.52	14.721	80	1177.70
do	26/20.06.2023	0141/23.09.2022	Sand	4.899	1.62	7.936	80	634.91
			Bajri	10.067	1.52	15.302	80	1224.15
do	30/20.06.2023	0140/23.09.2022	Sand	4.899	1.62	7.936	80	634.91
			Bajri	10.067	1.52	15.302	80	1224.15
do	32/20.06.2023	0175/05.02.2023	Sand	1.982	1.62	3.211	80	256.87
			Bajri	3.993	1.52	6.069	80	485.55
			Stone	7.986	2.24	17.889	80	1431.09
do	34/20.06.2023	0182/20.03.2023	Sand	5.239	1.62	8.487	80	678.97
			Bajri	10.478	1.52	15.927	80	1274.12
			Stone	17.983	2.24	40.282	80	3222.55
							Total	**33880.29**
							25% Penalty	**8470.07**
							G.Total	**42350.36**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Janvankad
Development Block Kangra

38